>

Title: Need to continue the pension to the families of the Freedom Fighters after their death.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिन व्यक्तियों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, ऐसे व्यक्ति बहुत कम रह गए हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि उस परिवार को राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाए। उन परिवारों को ताम्र पत्र मिला है, पैंशन भी मिली है। समाज के वे परिवार, जिन्हें पैंशन मिली, जिन व्यक्तियों को पैंशन मिली वे अब समाप्त हो गए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन परिवारों को गुजारा भत्ता देना चाहिए। चूंकि हमने उन्हें राष्ट्रीय परिवार घोषित किया है, इसलिए उन परिवारों को अपना गुजारा करने के लिए पैंशन राशि का मिलना बहुत जरूरी है। यदि राष्ट्रीय परिवार भूखा मरेगा, दर-दर की ठोकरें खाएगा और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं करेगा तो हम यह नहीं कह सकते कि वह राष्ट्रीय परिवार है। इसलिए मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि जिन्हें राष्ट्रीय परिवार घोषित किया गया है, जिन्हें ताम्र पत्र मिला है और पैंशन दी जा रही थी, जिस व्यक्ति को पैंशन दी गई थी, यदि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो उस परिवार को जीवन पर्यन्त पैंशन राशि दी जानी चाहिए और उनके परिवार के बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों में वरीयता मिलनी चाहिए और सभी प्रदेशों में एक समान पैंशन होनी चाहए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार इसपर निश्चित रूप से विचार करेगी, क्योंकि यह बहुत गंभीर प्रश्न है। जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, अब ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं। इसलिए भारत सरकार इस बारे में जरूर ध्यान दे।

MR. SPEAKER: Other matters at the end of the Scheduled Business.

MR. SPEAKER: The Matters Under Rule 377 may treated as laid on the Table of the House.